


(राजस्थान) माल  
 उपखण्ड अधिकारी  
 (राजस्थान केन्द्र शाखा)  
 जयपुर

प्रभावाती राजस्थान लोक अदालत न्याय आणक द्वारा 2017 में  
 पेश हुई। वकील प्रभाती ने प्रार्थना पत्र जारिये No Instruction  
 खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया।  
 वकील प्रभाती की उक्त हेरतुआ पर प्रभाती का प्रार्थना  
 पत्र जारिये No Instruction खारिज किया जाता है। प्रभावाती  
 कसल शमार होकर दाखिल दफतर हो। नम्बर से कम हो।



No further work.

नंबर व तारीख  
 अहकाम जो इस  
 हुकम की तामील  
 में जारी हुए

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जल

नम्बर  
 अहकाम  
 हुकम  
 में